



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1094]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935

No. 1094]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

का.आ. 1241(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, निदेश देते हैं कि दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन तथा अगले आदेशों तक, खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 के अंतर्गत उस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे और उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू.-11030/12/2012-यू टी एल]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2013

S.O. 1241(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union Territory of Daman and Diu shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under Section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) within the said Union Territory.

[F.No. U-11030/12/2012-UTL]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.